

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/

भोपाल, दिनांक /09/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला उज्जैन।

विषय :- कोविड-19 के संदर्भ में बंधपत्र चिकित्सक को कार्यमुक्त न करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक स्थापना/2020/10511 दिनांक 08.09.2020।

विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा डॉ संतोष मोरे, पी0जी0 बंधपत्र चिकित्सक को जिला चिकित्सालय खरगौन हेतु कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के संदर्भ में अन्य आगामी आदेश तक बंधपत्र चिकित्सकों से उज्जैन में निरंतर कार्य लिया जावे।

(सपना एम0लोवंशी )

अपर संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

भोपाल, दिनांक /09/2020

8/10/2020

पृ.क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/ 1885

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल,म0प्र0- आगामी कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर जिला उज्जैन, खरगौन,म0प्र0।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन, खरगौन अशोनगर,म0प्र0।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, खरगौन,म0प्र0।
8. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

*Sawant*  
28/9/2020

अपर संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0